04. श्योजी पुत्र स्व. श्री किशना जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर।
05. माधो पुत्र स्व. श्री किशना जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. श्रीमती रामकन्या पुत्री स्व. श्री मोती, पत्नी श्री घासी जाति माली निवासी हाल ग्राम सेवा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ग्राम निमेड़ा तहसील फागी जिला जयपुर।
02. सरकार जरिये तहसीलदार फागी जिला जयपुर।
03. जगदीश पुत्र स्व. श्री किशना जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर।
04. रामस्वरूप पि.मु. श्री किशना जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी जिला जयपुर।
05. प्रभाती पत्नी स्व. सूरजकरण पुत्र स्व. श्री किशना जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर। (मृतक दौराने अपील, नाम हजफ)
06. नन्दलाल पुत्र स्व. सूरजकरण, जाति माली जाति निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर।
07. कजोड़ पुत्र स्व. सूरजकरण जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर।
08. हरि पुत्र स्व. श्री हनुमान जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर।
09. सायर पुत्र स्व. श्री हनुमान जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. **श्री निर्मल कुमार जैन, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री हनुमान प्रसाद चौधरी एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 18.07.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त अराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई कब्जा काश्त नही रहा, आराजी पर अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट 3 लगायत 9 का ही कब्जा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

काश्त चला आ रहा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा 17 वर्ष की दीर्घअवधि के पश्चात् आधारहीन तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के मियाद के बिन्दू को तय किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2017 पारित किया गया है जो विधि विधान एवं प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट न कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मूल नामान्तरकरण संख्या 1461 को तलब करने हेतु मिसल जारी की थी किन्तु उक्त असल मिसल अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल नही हुई तथा फोटो प्रति के आधार पर ही मूल प्रकरण को निस्तारित कर दिया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि मूल नामान्तरकरण संख्या 1461 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा साजकर नष्ट करवा दिया या शामिल पत्रावली नही होने दिया जिससे की सही एवं वास्तविक तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही आ सके और अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मूल नामान्तरकरण मंगवाये ही अपीलाधीन निर्णय पारित फरमा दिया जो निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1461 दिनांक 06.06.1998 राजस्व अभियान समस्या समाधान शिविर में हजारों लोगों की उपस्थिति में एवं स्वयं अपीलार्थीया रामकन्या की उपस्थिति में उसकी सहमति से स्वीकार फरमाया गया था जहॉ पर कलक्टर, तहसीलदार, पटवारी व हजारों ग्रामीण मौजूद थे उनकी उपस्थिति में कब्जे, स्वामित्व आदि की जॉच कर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था। उन्होने आगे कथन किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में यही कही भी वर्णन नही किया कि उसने अपने स्वर्गीय पिता व माता धन्नीदेवी की सेवा सुश्रषा की हो तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् क्रियाकर्म किये हो, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विवाह के पश्चात् से ही अपने सुसराल में निवासी करती है तथा उसका उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2017 पारित किया है जो विधि विधान एवं प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त में 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा मृतक श्रीलाल पुत्र पन्ना जाति माली निवासी निमेड़ा तहसील फागी जिला जयपुर का रहा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा का देहान्त हुआ तब उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 816 ग्राम पंचायत निमेड़ा ने मृतक श्रीलाल के पांचों पुत्रों गोपी, किशना, सूरजकरण, मोती व लक्ष्मीनारायण के नाम स्वीकार किया तथा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के पिता मोती का देहान्त होने पर उसकी विरासत उसकी माता धन्नी के नाम स्वीकृत हुआ तथा मृतक मोती व धन्नी की एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकन्या है जो उनकी जायन्दा पुत्री है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत वह प्रथम श्रेणी में एकमात्र वारिस होने से उनकी मृत्यु के पश्चात् मृतक धन्नी की एकमात्र उत्तराधिकारी है, उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 1461 जो धन्नी के फौत होने पर उसके चारों देवरों के एवं उनके वारिसों के नाम 1/4–1/4 हिस्सा तहसीलदार फागी ने विधि विरूद्ध अवैध एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित स्वीकार किया गया था जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खारिज योग्य ही था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि उक्त विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दिनांक 20.12.2014 को पटवारी हल्का के पास जाकर अपने हिस्से की उक्त भूमि का किसान कार्ड बनाने के लिऐ गयी तो पटवारी हल्का निमेड़ा ने बताया कि तुम्हारे माता–पिता की खातेदारी की भूमि का नामान्तरकरण तो तुम्हारे चाचाओं ने मृतक मोती व धन्नी को नालौलाद बताकर उसके 1/5 हिस्से की भूमि नामान्तरकरण संख्या 1461 वर्ष 1998 में खुलवा लिया। इस पर अपीलार्थी को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उसी दिन पटवारी हल्का से उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की एंव उसके पश्चात् उक्त विवादित आराजीयात के अन्य दस्तावेजों की नकले प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलाकन किया तथा अधिवक्त उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील के पैरा संख्या 7 में यह कथन किया गया है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 1461 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकन्या की उपस्थिति में व सहमति से स्वीकार किया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मृतक मोती एवं धन्नी की जायन्दा पुत्री है तथा नामान्तरकरण संख्या 1461 स्वीकार करते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की किसी प्रकार की सहमति या हकत्याग इत्यादि किसी भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है जिससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार मोती एवं धन्नी के प्रथम श्रेणी की वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसके हक अधिकारों से वंचित करते हुए नामान्तरकरण संख्या 1461 स्वीकार किया गया था जिसे कानूनन उचित ठहराये जाने के ठोस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही रहे है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2017 द्वारा प्रकरण तहसीलदार फागी को वादग्रसत आराजी के सम्बन्ध में उभयपक्षों को पुनः सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर

P.T.O.

प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय हेतु रिमाण्ड ही किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2017 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।